



कार्यालय राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/लेखा/अप्रसुवसं/2022-23/ 4892 दिनांक 24.06.2022

बजट आवंटन आदेश — 33

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या— 41 : Scientific Research/Study to identify the large old tree of the different species (Mahavraksha) of the Rajasthan State & APO item no 54 (b) Creation of infrastutre for center for conservation of Natural Resources, Enviorment Protection and Climate change at RFWTI, Jaipur में वर्णित अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ बन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

2406-04-103-04-01-1.2

2406 - Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of the Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12- Grant in Aid (Other than salary)

APO Item No - 41 : Scientific Research/Study to identify the large old tree of the different species (Mahavraksha) of the Rajasthan State

APO Item No - 54 (b) Creation of infrastutre for center for conservation of Natural Resources, Enviorment Protection and Climate change at RFWTI, Jaipur

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	APO Item cum Activity	Amount in lacs	
			Physical Allotment (in RKM/Ha.)	Financial Allotment
1	उ.व.सं. वनवर्धन, जयपुर	41 : Scientific Research/Study to identify the large old tree of the different species (Mahavraksha) of the Rajasthan State	LS	5.00
2	उ.व.सं. वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	54 (b) Office space for staff accommodation for center for conservation of Natural Resources, Enviorment Protection and Climate change (1000 sq.ft @2000/- per sq.ft) योग	1000	20.00
				25.00

शर्तः—

- उप वन संरक्षक वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर प्राप्त राशि को प्रस्तावित कार्य में अन्य योजना के साथ डिवटेल नहीं करें।
- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रसुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- उप वन संरक्षकगण सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।

5. ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिवर्तन में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
6. यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
7. आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
8. आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय समिलित नहीं किया जावे।
9. कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समर्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
10. उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
11. संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
12. बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
13. कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावें जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
14. कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावें एवं विभाग की प्रचलित प्रदत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
15. कैम्पा मद के अर्तागत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-प्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,


 शिखा मेहरा)
 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/ /2021-22/ 4893-02

दिनांक 24.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक— वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर/वनवर्धन, जयपुर।
4. सहा. सांखियकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
5. सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

OIC


 आकाश जोशी
 उप वन संरक्षक (कैम्पा)
 राजस्थान, जयपुर।